

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या ~~ली-672~~ /स्था0-2/2014-2015

दिनांक 26-3-2015

विषय जिला स्तरीय विभिन्न विकास विभागों में कर्मचारियों की पूलिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 3954/38-3-2012-60 (अधि0)/2012 दिनांक 19-02-2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है और जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित है।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.02.2013 में पूलिंग कार्यालयों के लिए तथा पूलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में व्यवस्था प्रावधानित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है।

3. इस कार्यालय स्तर पर संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में उपर्युक्त शासनादेश में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और ग्राम्य विकास विभाग एवं अनुभागीय कार्यालयों में स्वीकृत स्टाफ से कम कर्मचारी होते हुये भी ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों के लिये वरिष्ठ कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(कामरान रिजवी)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या

/स्था0-2/2014-2015

तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार)

अपर आयुक्त,

ग्राम्य विकास उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या /स्था0-2/2014-2015

दिनांक 26-3-2015

विषय जिला स्तरीय विभिन्न विकास विभागों में कर्मचारियों की पूलिंग व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 3954/38-3-2012-60 (अधि0)/2012 दिनांक 19-02-2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है और जिसकी प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित है।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19.02.2013 में पूलिंग कार्यालयों के लिए तथा पूलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में व्यवस्था प्रावधानित की गयी है जिसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया गया है।

3. इस कार्यालय स्तर पर संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों में उपर्युक्त शासनादेश में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है और ग्राम्य विकास विभाग एवं अनुभागीय कार्यालयों में स्वीकृत स्टाफ से कम कर्मचारी होते हुये भी ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्यों के लिये वरिष्ठ कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(कामरान रिजवी)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या बी-672/स्था0-2/2014-2015

तददिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(लोकेश कुमार)

अपर आयुक्त,

ग्राम्य विकास उ0प्र0।